दूरभाष / फैक्स : 0135–2719500

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

Website:- www.uhuda.org.in E-mail– uhudauk@gmail.com

पत्रांकः–912 / उडा–222(क) / 2017 दिनांकः 16, दिसम्बर, 2017

प्रेषक,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

सचिव,
दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
रुद्रप्रयाग।

विषय– विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में विकसित की गयी परियोजनाओं, जिनका भूविन्यास (Layout) प्राधिकरण अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कराया गया है, की सूचना तथा सुझाव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय आदेश संख्या 876 / उडा–75 / 2015 दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से राज्य में बिना भूविन्यास (Layout) स्वीकृत करायी गयी परियोजनाओं का अध्ययन किये जाने हेतु उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 में लिये गये निर्णयों के अनुसार ऐसी परियोजनाऐं जिनका भूविन्यास (Layout) प्राधिकरणों अथवा किसी भी सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं कराया गया है, के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप के अनुसार सूचना उपलब्ध करायी जानी है। उक्त के अतिरिक्त ऐसे प्रकरणों पर आपके सुस्पष्ट सुझाव राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हैं।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप के अनुसार सूचना अविलम्ब दिनांक 25 दिसम्बर, 2017 तक आवश्यक रूप से राज्य प्राधिकरण को प्रेषित करते हुये प्राधिकरण के फैक्स संख्या 0135–2719500 तथा ईमेल uhudauk@gmail.com पर भी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. नियामक प्राधिकारी, भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून।
3. मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष / समिति के समस्त सदस्य।

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

प्राधिकरण क्षेत्र मे बिना भू–विन्यास स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

प्राधिकरण का नाम												
क्र.सं.	परियोजनाओं की स्थिति (श्रेणी)	परियोजनाओं का श्रेणी प्रतिशत के अनुसार संख्या व क्षेत्रफल								परियोजनाओं की कुल संख्या	परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल	परियोजनाओं की स्थिति (श्रेणी) के अनुसार परियोजनाओं को मुख्य धारा मे लाये जाने हेतु सुझाव / प्रस्ताव
		75–100 प्रतिशत	क्षेत्रफल	50–75 प्रतिशत	क्षेत्रफल	25–50 प्रतिशत	क्षेत्रफल	0–25 प्रतिशत	क्षेत्रफल			
1	ऐसी परियोजनायें जिनमे निर्माण कार्य हो चुका हो											
2	ऐसी परियोजनायें जिनमे भूखण्डों की रजिस्ट्री हो चुकी हो											
3	ऐसी परियोजनायें जिनमे उक्त (बिन्दु 1तथा 2) मे से कुछ भी नही हुआ है											
4	ऐसी परियोजनायें जो प्राधिकरण / पूर्व के विनियमित क्षेत्रों के विकास क्षेत्रों के अधीन नहीं थीं, किन्तु विकसित की गयीं हों											